बिहार पुलिस मुख्यालय

(स्थापना एवं विधि प्रभाग)

आदेश

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41, 41ए के अनुपालन एवं संहिता की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत नोटिस या आदेश जारी करने की मानक प्रक्रिया/प्रपत्र

1. माननीय उच्चत्तम न्यायालय, नई दिल्ली ने **मिसलेनियस एप्लीकेशन सं0–1849/21, एस0एल0पी0 (क्र0) सं0–5191/2021 सत्येन्द्र कुमार अनतिल बनाम सी0बी0आई0 एवं अन्य** में दिनांक 11.07.2022 को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 एवं 41ए के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में विस्तृत आदेश पारित किया है। उक्त आदेश में इसी न्यायालय द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के अनुपालन के संबंध में अर्णेश कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 02.07.2014 को पारित आदेश के अक्षरशः अनुपालन समेत अन्य आदेश दिये गये हैं जिनके कुछ मुख्य अंश निम्न प्रकार हैं :

> "(b) The investigating agencies and their officers are duty-bound to comply with the mandate of Section 41 and 41A of the Code and the directions issued by this Court in Arnesh Kumar (supra). Any dereliction on their part has to be brought to the notice of the higher authorities by the court followed by appropriate action.
>
> (c) The courts will have to satisfy themselves on the compliance of Section 41 and 41A of the Code. Any non-compliance would entitle the accused for grant of bail.
>
> (d) All the State Governments and the Union Territories are directed to facilitate standing orders for the procedure to be followed under Section 41 and 41A of the Code while taking note of the order of the High Court of Delhi dated 07.02.2018 in Writ Petition (C) No. 7608 of 2018 and the standing order issued by the Delhi Police i.e. Standing Order No. 109 of 2020, to comply with the mandate of Section 41A of the Code."

2. समीक्षा के क्रम में कतिपय ऐसे मामले प्रकाश में आये हैं जहाँ कांडों के अनुसंधान/जाँच (द0प्र0सं0 174 सहित) के क्रम में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 एवं 41ए में निहित प्रावधानों/प्रक्रियाओं का अक्षरशः अनुपालन नहीं किया जा रहा है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए, 91, 160 एवं 175 के अन्तर्गत पुलिस पदाधिकारियों द्वारा व्यक्तियों/गवाहों को पूछताछ/जाँच/वस्तु उपलब्ध कराने हेतु नोटिस एवं सम्मन की अलग–अलग प्रकिया एवं प्रपत्र का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे भ्रामक/असमंजस की स्थिति उत्पन्न होती है।

3. कांडों के अनुसंधान एवं गिरफ्तारी के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता में निहित प्रावधानों/प्रक्रियाओं का पालन बाध्यकारी है। संहिता की धारा 41, 41ए, 91, 160 एवं 175 में पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तारी, पुलिस अधिकारी के समक्ष उपसंजात (appearance) होने की नोटिस, दस्तावेज एवं अन्य चीजें पेश करने के लिए सम्मन, साक्षियों की हाजरी की अपेक्षा करने के पुलिस अधिकारी की शक्ति एवं व्यक्तियों की सम्मन की शक्ति से संबंधित प्रावधान निहित है।

4. इस संबंध में पूर्व में बिहार पुलिस मुख्यालय, अपराध अनुसंधान विभाग एवं कमजोर वर्ग प्रभाग के **ज्ञापांक 1193/वि0को0, दिनांक 28.05.2021** के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन अधिनियम 2008, 2010, **माननीय उच्चत न्यायालय द्वारा अर्णेश कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य** में दिनांक 02.07.2014 को

पारित आदेश तथा Suo Motu Petition (Civil) No.-01/2020 में दिनांक 07.05.2021 को पारित न्यायादेश के आलोक में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के प्रयोग **के समय ध्यान देने वाले बिन्दु एवं गिरफ्तारी हेतु चेक लिस्ट को अंकित करते हुए** विस्तृत आदेश निर्गत किया गया है **(अनुलग्नक 'क')**।

5. अतः माननीय उच्चत्तम न्यायालय, नई दिल्ली के उपर्युक्त आदेश एवं माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा Writ Petition (C) No. 7608 of 2018 में दिनांक 07.02.20218 को पारित आदेश में दिये गये दिशा–निर्देश एवं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 एवं 41ए में निहित विधिक प्रावधानों के अक्षरशः अनुपालन तथा अन्य धाराओं के अन्तर्गत नोटिस/आदेश जारी करने हेतु निम्न मानक प्रक्रिया एवं प्रपत्र निर्धारित किये जाते हैं :

(i) पुलिस द्वारा बिना वारंट की गिरफ्तारी दण्ड प्रक्रिया संहित की धारा 41 में निहित प्रावधानों के अनुरूप ही की जाएगी।

(ii) पुलिस पदाधिकारियों द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के तहत अनिवार्य रूप से धारा के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार **संलग्न प्रपत्र 'क'** में औपचारिक रूप से तामिल कर **पावती (acknowledgement) प्राप्त कर** संबंधित संचिका (कांड/जाँच अभिलेख) में संधारित किया जाय। किसी व्यक्ति/अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं न्यायिक दण्डाधिकारी के समक्ष उपस्थापन के समय बिहार पुलिस मुख्यालय, अपराध अनुसंधान विभाग एवं कमजोर वर्ग प्रभाग के ज्ञापांक 1193/वि0को0, दिनांक 28.05.2021 के द्वारा निर्गत आदेश में अंकित चेक लिस्ट को निश्चित रूप से संलग्न किया जाय।

(iii) संबंधित संदिग्ध या आरोपी अनिवार्य रूप से उक्त नोटिस में अंकित शर्तों का अनुपालन करेगा एवं अपेक्षित समय व स्थान पर अपनी उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।

(iv) यदि आरोपी कोई वैध एवं न्यायोचित कारण से किसी निर्धारित तिथि एवं समय पर उपलब्ध होने में अक्षम है तो उसे तुरंत जाँच अधिकारी को लिखित रूप में सूचित कर तर्कसंगत अवधि जो नोटिस में निर्धारित तिथि से 07 कार्य दिवस से अधिक नहीं होगा, में वैकल्पिक समय की मांग करनी होगी।

(v) जब तक कि यह जाँच के लिए हानिकारक न हो पुलिस अधिकारी केवल उचित कारणों को कांड दैनिकी में दर्ज करते हुए ऐसे तिथि एवं समय के पुनर्निर्धारण की अनुमति दे सकता है। यदि अनुसंधानक को यह विश्वास है कि इस तरह का विस्तार संदिग्ध या आरोपित व्यक्ति द्वारा अनुसंधान में विलम्ब करने के लिए या आरोपी द्वारा भागने के लिए समय की मांग की जा रही है तो संबंधित थानाध्यक्ष/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को सूचित करते हुए समय के विस्तार के अनुरोध को अस्वीकार कर अनिवार्य रूप से व्यक्ति को उपस्थित होने/भाग लेने हेतु निदेशित किया जाय।

(vi) पुलिस थाना से इतर स्थान पर उपस्थित होने के निदेश के आलोक में (as envisaged under Section 41A(1) Cr.P.C.) संदिग्ध/आरोपी संबंधित अनुसंधान पदाधिकारी के साथ–साथ स्वतंत्र साक्षी द्वारा सत्यापित पावती (acknowledgement) प्राप्ति के लिए स्वतंत्र होगा।

(vii) यदि निर्धारित तिथि को आकास्मिक अपरिहार्य कारणों से अनुसंधान पदाधिकारी नोटिस में दिये गये स्थान पर उपलब्ध होने में असमर्थ हैं तो उक्त नोटिस के आलोक में नियमानुसार सभी कार्यवाहियॉ थानाध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में अपर थानाध्यक्ष (अनुसंधान) द्वारा की जायेंगी। असाधारण परिस्थिति में उपर्युक्त दोनों की अनुपस्थिति में कर्तव्य पर तैनात पदाधिकारी (ओ0डी0) द्वारा नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। नोटिस पाने वाले व्यक्ति को **संलग्न प्रपत्र** के अनुसार पावती (acknowledgement) जारी की जाएगी। उपर्युक्त कार्यवाही करने वाला पदाधिकारी उपस्थित व्यक्ति से स्वप्रमाणित पहचान पत्र की

प्रति लेगा। उक्त स्वप्रमाणित पहचान पत्र की एक प्रति एवं पावती की प्रति अनुसंधान पदाधिकारी कांड दैनिकी के साथ संलग्न करेंगे। उनकी अनुपस्थिति में कार्यवाही करने वाले पदाधिकारी आगमन के उपरांत उक्त दोनों प्रतियां अनुसंधान पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

(viii) थानाध्यक्ष/अनुसंधानक/थाने पर उपलब्ध पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि नोटिस पाने वाले व्यक्ति को उपस्थिति एवं अन्य कार्यवाहियों के समय अनावश्यक रूप से परेशान/प्रताड़ित न हों।

(ix) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के अन्तर्गत 15 वर्ष के कम या 65 वर्ष से अधिक आयु के पुरूष, किसी महिला या शारीरिक या मानसिक रूप से निर्योग्य किसी व्यक्ति से पूछताछ/जाँच हेतु अनिवार्य रूप से उनके निवास स्थान पर ही पूछताछ का स्थान निर्धारित किया जाएगा। अधिमानतः (perferably) ऐसे व्यक्तियों से पूछताछ उनके परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में ही की जाएगी तथा महिलाओं से पूछताछ महिला पुलिसकर्मी की उपस्थिति में ही की जाएगी। महिला पुलिसकर्मी के अनुपलब्ध रहने की स्थिति में परिवार के महिला सदस्य के समक्ष पूछताछ की कार्यवाही की जाएगी एवं इसका विवरण नोटिस की कार्यवाही में अंकित किया जाएगा।

(x) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए, 91, 160 एवं 175 के अन्तर्गत नोटिस/आदेश जारी करने एवं संबंधित पावती का प्रपत्र **संलग्न प्रपत्र 'क' 'ख' 'ग' एवं 'घ'** आदेश के साथ संलग्न है।

(xi) वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक अपने जिला अन्तर्गत सभी पुलिस थाना/ओ0पी0 के थानाध्यक्ष को पर्याप्त संख्या में विधिवत अनुक्रमिक तीन प्रतियों में क्रमानुसार क्रमांकित नोटिस पुस्तिका जारी करेंगे। विभिन्न थाना/ओ0पी0 को जारी पुस्तिकाओं के विधिवत प्रविष्टि हेतु प्रत्येक पुलिस कार्यालय में एक संचिका का वर्षवार संधारण किया जाएगा।

(xii) प्रत्येक थाना/ओ0पी0 अध्यक्ष उपर्युक्त नोटिस पुस्तिका को क्रमांकानुसार सभी अनुसंधान पदाधिकारी को एक–एक पुस्तिका जारी करेगा तथा सभी अनुसंधान पदाधिकारियों को अनिवार्य रूप से पुस्तिका में अंकित सभी स्तम्भ/क्रम संख्या में अंकित तथ्यों को पूर्ण रूप से अंकित करने हेतु निदेशित करेगा।

(xiii) अनुसंधान पदाधिकारी निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन करेगा :

a) नोटिस की मूल प्रति आरोपी या संदिग्ध को हस्तगत कराया जाएगा।

b) नोटिस की एक प्रति (श्वेत पत्र पर) अनुसंधान पदाधिकारी द्वारा कांड दैनिकी/जाँच अभिलेख के साथ संलग्न करेगा जिसे आवश्यकतानुसार संबंधित दंडाधिकारी को समय पर दिखाया जा सके।

c) प्रयुक्त नोटिस पुस्तिकाएँ अनुसंधान पदाधिकारी द्वारा थानाध्यक्ष के पास जमा की जाऐंगी जो उन्हें अनुसंधान समाप्ति एवं दं0प्र0सं0 की धारा 173(2) के अन्तर्गत अंतिम प्रपत्र समर्पित होने तक अपने पास रखेगा।

d) अंतिम प्रपत्र समर्पित/जाँच समाप्त होने के तीन साल के बाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय एवं पुलिस थाने के थानाध्यक्ष तथा अनुसंधानक द्वारा विधिवत प्रयुक्त नोटिस पुस्तिका की प्रतियों को पुलिस हस्तक में दस्तावेजों के विनिष्टकरण हेतु निहित प्रावधानों के अनुसार विनिष्ट किया जाएगा।

(xiv) उपर्युक्त प्रक्रिया दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 91, 160 एवं 175 के अन्तर्गत कार्यवाही के संबंध में भी अक्षरशः लागू होंगे एवं पुलिस पदाधिकारियों द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

7. बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर एवं प्रशिक्षण प्रभाग, पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना द्वारा संचालित सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उपर्युक्त आदेश को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा।

8. वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यशालाओं का आयोजन कर एक माह के अन्दर जिला अन्तर्गत सभी पुलिस पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

9. वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रत्येक अपराध गोष्ठि में सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/पुलिस उपाधीक्षक/अंचल निरीक्षक/पुलिस निरीक्षक/थानाध्यक्ष एवं अन्य उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों को उपर्युक्त आदेश के संबंध में सुग्राही (sensitize) किया जाएगा। ये पदाधिकारी प्रत्येक माह अपनी अपराध समीक्षा के क्रम में अपने प्रतिष्ठान अन्तर्गत उपस्थित सभी पुलिस पदाधिकारियों को उपर्युक्त आदेश के संबंध में सुग्राही (sensitize) करेंगे।

16/9/22

पुलिस महानिदेशक,
बिहार

ज्ञापांक 568/LS
LS/123/2022
बिहार पुलिस मुख्यालय,
(स्थापना एवं विधि प्रभाग)
पटना, दिनांक– 16·09·2022

प्रतिलिपिः–

1. पुलिस महानिदेशक(प्रशिक्षण), बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. पुलिस महानिदेशक, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार पुलिस अकादमी/मुख्यालय/निगरानी अन्वेषण इकाई/विशेष शाखा/अपराध अनुसंधान विभाग/आधुनिकीकरण एवं राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो/बजट, अपील कल्याण/कमजोर वर्ग/सुरक्षा/प्रोविजन/विधि–व्यवस्था, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
4. पुलिस महानिरीक्षक, मद्यनिषेध/यातायात, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
5. सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप–महानिरीक्षक(रेल/इकाई सहित), बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
6. पुलिस उप–महानिरीक्षक(ड0नि0)/(अप0), अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ।
7. पुलिस अधीक्षक(सी0)/(डी0)/(ई0)/(म0अप0को0), अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ।
8. सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक (रेल सहित), बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।

16/9/22

पुलिस महानिदेशक,
बिहार

प्रपत्र 'क'

क्रम सं0..... थाना.....

सेवा में,
(अभियुक्त/नोटिस पाने वाले का नाम)
(अंतिम ज्ञात पता)
(दूरभाष सं0/ईमेल आई0डी0 अगर कोई हो)

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के तहत नोटिस

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए की उप–धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आपके सूचित किया जाता है कि .....जिला ..... पुलिस थाने में दर्ज कांड/मामला क्रमांक ..... दिनांक.....धारा.....की जाँच के दौरान यह पता चला है कि वर्तमान जॉच के संबंध में तथ्यों एवं परिस्थितियों का पता लगाने के लिए आपसे सवाल करने के लिए उचित आधार है।

अतः आपको निदेश दिया जाता है कि आप दिनांक..... को पूर्वाह्न/अपराह्न में मेरे समक्ष पुलिस थाना ...../.....स्थान पर उपस्थित हों।

आपको निम्नलिखित सभी निर्देशों का पालन करने का आदेश दिया जाता है :

(a) आपके द्वारा अग्रेत्तर अपराध कारित नहीं किया जाएगा।
(b) जब भी आवश्यकता होगी आप मामले की अनुसंधान/जाँच में शामिल होंगे और जाँच में सहयोग करेंगे।
(c) आपके द्वारा अपराध से संबंधित किसी भी प्रकार के साक्ष्य को किसी भी रीति से छेड़छाड या समाप्त नहीं किया जाएगा।
(d) आपके द्वारा मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन जो उसे न्यायालय या पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट करने से निवारित करता है, नहीं दिया जाएगा।
(e) जब भी आवश्यक/निर्देशित होगा, आप न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।
(f) मामले के तथ्यों के अनुसार अन्य शर्तें.....(आवश्यकतानुसार पन्ना संलग्न करें)

इस नोटिस की शर्तों में भाग लेने/अनुपालन करने में विफलता दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए (3) एवं (4) के तहत आपको गिरफ्तारी के लिए उत्तरदायी बना सकती है।

(हस्ताक्षर).....
(नाम एवं पदनाम).....
(मुहर).....

पावती (acknowledgement)

क्रम सं0.....

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के तहत दिनांक..... को .....जिला.....थाना कांड सं0.....दिनांक.....धारा.....में जारी उपर्युक्त नोटिस के अनुपालन में नोटिस पाने वाले..... .....(पता) दिनांक..... को समय.....बजे उपस्थित हुए। पुलिस थाना में संधारित रजिस्टर में नोटिस की उपस्थिति दर्ज की गई।

यह पावती दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के अनुपालन में जारी की जा रही है। नोटिस द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को जप्ती ज्ञापन/प्रस्तुती ज्ञापन (प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से विधिवत जप्त कर लिया गया है।

नोटिस प्राप्त करने वाला/वाली इस अनुसंधान/जाँच में अग्रत्तर किसी भी अन्य नोटिस का पालन जारी रखने का वचन देता है।

हस्ताक्षर (अभियुक्त/नोटिस पाने वाले)..... हस्ताक्षर (अनुसंधानकर्ता).....

प्रपत्र 'ख'

क्रम सं0..... थाना.....

सेवा में,
(अभियुक्त/नोटिस पाने वाले का नाम)
(अंतिम ज्ञात पता)
(दूरभाष सं0/ईमेल आई0डी0 अगर कोई हो)

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 के तहत नोटिस

जहाँकि मुझे यह प्रतीत होता है कि .....जिला..... पुलिस थाने में दर्ज कांड/मामला क्रमांक .....दिनांक.....धारा.....की जाँच के उद्देश्य के लिए नीचे उल्लेखित दस्तावेज/वस्तुएं आवश्यक/वांछनीय है। अतः आपको निदेश दिया जाता है कि आवश्यक दस्तावेजों/वस्तुओं को अधोहस्ताक्षरी के समक्ष स्थान.....दिनांक.....को समय..... (पूर्वाह्न/अपराह्न) पर प्रस्तुत करें।

दस्तावेजों का विवरण

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....

इस नोटिस की शर्तो में भाग लेने/अनुपालन में विफल रहने पर आप भा0द0वि0 की धारा 175 के तहत कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं।

(हस्ताक्षर).....
(नाम एवं पदनाम).....
(मुहर).....

पावती (acknowledgement)

क्रम सं0.....

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 के तहत दिनांक..... को .....जिला .....थाना कांड सं0.....दिनांक.....धारा.....में जारी उपर्युक्त नोटिस के अनुपालन में नोटिस पाने वाले.. .....(पता) दिनांक..... को समय.....बजे उपस्थित हुए। पुलिस थाना में संधारित रजिस्टर में नोटिस की उपस्थिति दर्ज की गई।

यह पावती दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 के अनुपालन में जारी की जा रही है। नोटिस द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को जप्ती ज्ञापन/प्रस्तुती ज्ञापन (प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से विधिवत जप्त कर लिया गया है।

नोटिस प्राप्त करने वाला/वाली इस अनुसंधान/जाँच में अग्रत्तर किसी भी अन्य नोटिस का पालन जारी रखने का वचन देता है।

हस्ताक्षर (अभियुक्त/नोटिस पाने वाले)..... हस्ताक्षर (अनुसंधानकर्ता).....

प्रपत्र 'ग'

क्रम सं0..... थाना.....

सेवा में,

(अभियुक्त/नोटिस पाने वाले का नाम)

(अंतिम ज्ञात पता)

(दूरभाष सं0/ईमेल आई0डी0 अगर कोई हो)

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के तहत नोटिस

15 वर्ष से कम या 65 वर्ष से अधिक आयु या किसी स्त्री या मानसिक रूप से निर्योग किसी व्यक्ति के लिए उनके निवास से भिन्न किसी स्थान पर हाजिर होने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

दंड प्रक्रिया संहिता की 160 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आपको सूचित किया जाता है कि .....जिला ..... पुलिस थाने में दर्ज कांड/मामला क्रमांक .....दिनांक..... ....धारा.....के अनुसंधान/जाँच के क्रम में यह पता चला है कि वर्तमान जॉच के संबंध में तथ्यों एवं परिस्थितियों का पता लगाने के लिए आपसे सवाल करने के लिए उचित आधार है।

अतः आपको निदेश दिया जाता है कि आप दिनांक..... को पूर्वाह्न/अपराह्न में मेरे समक्ष पुलिस थाना ...../.....स्थान पर उपस्थित हों।

आपको निम्नलिखित सभी निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया जाता है :

(a) जब भी आवश्यक/निर्देशित हो, आप न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।
(b) जब भी आवश्यकता होगी आप मामले की अनुसंधान/जाँच में शामिल होंगे और जाँच में सहयोग करेंगे।
(c) आप अनुसंधान/जाँच से संबंधित आवश्यक सभी प्रासंगिक दस्तावेज/सामग्री जो आपके स्वामित्व अन्तर्गत हो, प्रस्तुत करेंगे।
(d) जाँच/परीक्षण/अनुसंधान के क्रम में मामले में प्रासंगिक किसी भी सबूत को नष्ट नहीं करेंगे।
(e) मामले के तथ्यों के अनुसार अन्य शर्तें.....(आवश्यकतानुसार पन्ना संलग्न करें)

इस नोटिस की शर्तों में भाग लेने/अनुपालन करने में विफलता पर भा0द0वि0 की धारा 174 के तहत कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हो सकते है।

(हस्ताक्षर).....
(नाम एवं पदनाम).....
(मुहर).....

पावती (acknowledgement)

क्रम सं0.....

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के तहत दिनांक..... को.....जिला थाना कांड सं0.....दिनांक.....धारा.....में जारी उपर्युक्त नोटिस के अनुपालन में नोटिस पाने वाले..... .....(पता) दिनांक..... को समय.....बजे उपस्थित हुए। पुलिस थाना में संधारित रजिस्टर में नोटिस की उपस्थिति दर्ज की गई।

यह पावती दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के अनुपालन में जारी की जा रही है। नोटिस द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को जप्ती ज्ञापन/प्रस्तुती ज्ञापन (प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से विधिवत जप्त कर लिया गया है।

नोटिस प्राप्त करने वाला/वाली इस अनुसंधान/जाँच में अग्रत्तर किसी भी अन्य नोटिस का पालन जारी रखने का वचन देता है।

हस्ताक्षर (अभियुक्त/नोटिस पाने वाले)..... हस्ताक्षर (अनुसंधानकर्ता).....

प्रपत्र 'घ'

क्रम सं0.........................   थाना...

सेवा में, ________________________________

(अभियुक्त / नोटिस पाने वाले का नाम)

____

(अंतिम ज्ञात पता)

____

(दूरभाष सं0 / ईमेल आई0डी0 अगर कोई हो)

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 175 के तहत नोटिस

जहाँकि ....जिला...............................थाना, प्राथमिकी / डी0डी0 नं0.......................दिनांक.............
...धारा............... के मामले में किए गए अपराध की जाँच के उद्देश्य से आपकी उपस्थिति आवश्यक है। अतः आपको निदेश दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी के समक्ष कथित अपराध से संबंधित ऐसी जानकारी देने के लिए जो आपके पास हो, स्थान.....................समय.......................(पूर्वाह्न / अपराह्न) पर उपस्थित हों।

इस नोटिस की शर्तों में भाग लेने / अनुपालन करने में विफलता पर भा0द0वि0 की धारा 174 के तहत कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हो सकते है।

(हस्ताक्षर)...
(नाम एवं पदनाम)...........................
(मुहर)...

पावती (acknowledgement)

क्रम सं0....................

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 175 के तहत दिनांक.................... को ....जिला..................थाना कांड सं0..................दिनांक................धारा.....................में जारी उपर्युक्त नोटिस के अनुपालन में नोटिस पाने वाले... ....(पता) दिनांक................... को समय.......................बजे उपस्थित हुए। पुलिस थाना द्वारा रखे गये रजिस्टर में नोटिस की उपस्थिति दर्ज की गई।

यह पावती दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 175 के अनुपालन में जारी की जा रही है।

नोटिस प्राप्त करने वाला / वाली किसी भी अन्य नोटिस का पालन करना जारी रखने का वचन देता है जो उसे वर्तमान जाँच के दौरान प्राप्त हो सकता है।

हस्ताक्षर (अभियुक्त / नोटिस पाने वाले)....................   हस्ताक्षर (अनुसंधानकर्ता)......................

अनुलग्नक 'क'

आदेश

पुलिस द्वारा बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति संबंधी प्रावधान धारा 41 दंड प्रक्रिया संहिता में दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम 2008 एवं दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम 2010 के माध्यम से संशोधन किए गए थे जो क्रमशः दिनांक 01.11.2010 एवं 02.11. 2010 से प्रभावी हुए थे।

उक्त प्रावधानों के दृढ़तापूर्वक अनुपालन हेतु इस कार्यालय का ज्ञापांक 4998/एक्स0एल0 दिनांक 16.12.2011 निर्गत किया गया था।

पुनः 'अर्णेश कुमार बनाम् बिहार राज्य एवं अन्य' मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 02 जुलाई 2014 को पारित आदेश तदनुसार भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पत्र संख्या–3/5/2008–Judl. Cell दिनांक 10 जुलाई 2014 द्वारा यथावांछित चैकलिस्ट सहित पूर्ण अनुपालन हेतु अपराध अनुसंधान विभाग एवं कमजोर वर्ग प्रभाग द्वारा पत्रांक 104/सरंक्षण कक्ष, दिनांक 11.02.2017 निर्गत किया गया था।

पुनः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Suo Motu Writ Petition(Civil) No- 01/2020 में दिनांक 07.05.2021 को पारित न्यायादेश के पैराग्राफ 9 में पूर्वोक्त 'अर्णेश कुमार बनाम् बिहार राज्य एवं अन्य' न्यायादेश के प्रासंगिक पैराग्राफों का अक्षरशः उद्धरण देते हुए उसके दृढ़तापूर्वक अनुपालन हेतु आदेशित किया गया है। न्यायादेश के प्रासंगिक भाग का सारांश अग्रलिखित हैः–

(i)धारा 498A भा0द0वि0 तथा 7 वर्ष से कम कारावास के मामलों में अभियुक्तों को सीधे automatically गिरफ्तार करने के बजाय पहले धारा 41 द0प्र0स0 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तारी की आवश्यकता के विषय में पुलिस अधिकारी संतुष्ट हो लेंगे।

(ii)सभी पुलिस अधिकारी धारा 41.(1)(b)(ii) के प्रावधानों के अनुपालनार्थ चैकलिस्ट का उपयोग करते हुए गिरफ्तारी के औचित्य संबंधी कारण तथा तत्संबंधित सामग्री न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के अग्रसारण/पेशी के समय समर्पित करेंगे। संबंधित दंडाधिकारी (न्यायालय) पुलिस के उपरोक्त प्रतिवेदन के परिशीलन से संतुष्ट होकर ही अभियुक्त की निरूद्धि (detention) को authorize करेंगे।

(iii)41.(1)(b)(ii) के प्रावधानों के तहत पुलिस द्वारा किन्हीं अभियुक्तों की गिरफ्तारी आवश्यक नहीं समझी जाए तो प्राथमिकी अंकित होने के दो सप्ताह के भीतर संबंधित न्यायालय को ऐसे अगियुक्तों का विवरण भेज देंगे। दो सप्ताह की उक्त अवधि पुलिस अधीक्षक द्वारा कारण अभिलिखित करते हुए बढ़ाई जा सकती है।

(iv)दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41A के तहत उपस्थिति का नोटिस प्राथमिकी अंकित होने के दो सप्ताह के भीतर तामिला करा देना है। दो सप्ताह की उक्त अवधि पुलिस अधीक्षक द्वारा कारण अभिलिखित करते हुए बढ़ाई जा सकती है।

(v)उपरोक्त निर्देशों का अनुसरण करने में असफल रहने वाले पुलिस अधिकारी विभागीय कार्रवाई के साथ–साथ न्यायालय की अवमानना के लिए दंड के भी भागी होंगे।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्देश स्वतः स्पष्ट हैं। इनके दृढ़तापूर्वक एवं वस्तुनिष्ठ अनुपालन हेतु तैयार चैकलिस्ट परिशिष्ट के रूप में साथ संलग्न है।

(1.2) संलग्न चैकलिस्ट में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु तारांकित किए गए हैं। कानूनी प्रावधानों के आलोक में उक्त वर्णित पॉचों कारणों 41.(1)(b)(ii) a,b,c,d,e में से यदि एक भी कारण उपस्थित होगा तो गिरफ्तारी न केवल उचित होगी अपितु कानूनी रूप से अपरिहार्य भी होगी क्योंकि उक्त उपधारा के परंतुक के अनुसार गिरफ्तारी आवश्यक नहीं समझे जाने के कारण भी अनिवार्य रूप से अभिलिखित किए जाने हैं। इसीलिए यदि एक भी तारांकित प्रश्न का उत्तर हॉ है तो संबंधित पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी करने का निर्णय निश्चित रूप से लें। यदि किसी भी तारांकित प्रश्न का उत्तर हॉ में नहीं है किन्तु अतारांकित प्रश्नों के तीन या तीन से अधिक उत्तर हॉ में हैं तो भी गिरफ्तारी करने का निर्णय लिया जाना श्रेयस्कर होगा। फिर भी यदि अभियुक्त विशेष की कतिपय परिस्थितियों के कारण गिरफ्तारी नहीं करने का निर्णय लिया जाना न्यायिक तथा/अथवा प्रशासनिक हित में आवश्यक हो तो ऐसा निर्णय पुलिस अधीक्षक या उससे उच्चतर पंक्ति के अधिकारी ही लिखित रूप से लें।

(1.3) जिन अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं की गई है उनके विवरण की समीक्षा प्रत्येक मासिक अपराध समीक्षा बैठक में पुलिस अधीक्षक द्वारा आवश्यक रूप से की जाएगी तथा 'मासिक अपराध समीक्षा' के पूर्व से भेजे जाते रहे प्रतिवेदन के अनन्य भाग के रूप में पुलिस अधीक्षक द्वारा उच्चतर कार्यालयों को नियमित रूप से भेजा जाएगा।

(1.4) जिन अभियुक्तों की गिरफ्तारी आवश्यक नहीं समझी गई है उनके विषय में ऐसे कारण निश्चित रूप से अभिलिखित किए जायेंगे ताकि 41.(1)(b)(ii) के परंतुक का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

(1.5) ध्यान रहे कि चैकलिस्ट का संधारण एवं मूल्यांकन अलग–अलग अभियुक्तों के लिए अलग–अलग होना है क्योंकि एक ही कांड में अलग–अलग अभियुक्तों की परिस्थितियॉ तथा तत्संबंधित सामग्री अलग–अलग हो सकती हैं।

(2.) धारा 41 (1)(a) द0प्र0सं0 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध किसी पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में करता है तो उसकी गिरफ्तारी बिना वारंट के की जा सकती है भले ही ऐसे अपराध की सजा कितनी ही कम क्यों न हो।

(3) धारा 41 के प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता के अन्य प्रावधानों पर अधिभावी नहीं होते हैं अतः विधिवत गहन अनुसंधान के बाद जिन अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित करने का निर्णय लिया गया हो किन्तु जिनकी गिरफ्तारी नहीं की गई थी, को अनुसंधान बन्द करने से पहले संबंधित न्यायालय में अविलंब उपस्थित होने हेतु 41A के तहत एक अतिरिक्त नोटिस तामिला किया जाना सर्वथा न्यायोचित एवं वांछित होगा।

(4) गिरफ्तारी करते समय द0प्र0स0 की धारा 41B, 41C, 41D, 45, 46, 50, 60, 60A इत्यादि का सम्यक् अनुपालन भी अपरिहार्य है। अतः सभी पुलिस अधिकारी उक्त प्रावधानों का भी परिशीलन कर अनुपालन सुनिश्चित कराएं।

(5) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार के मामलों में संबंधित नियमावली, 1995 के नियम 8 के अंतर्गत गठित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संरक्षण कक्ष के भारसाधक अधिकारी के रूप में अपर पुलिस महानिदेशक, कमजोर वर्ग, अपराध अनुसंधान विभाग, द्वारा अलग से संरक्षण कक्ष परिपत्र संख्या–01/2021 दिनांक 17.03.2021 पूर्व में अलग से निर्गत किया जा चुका है।

28/5/2021
पुलिस महानिदेशक,
बिहार।

ज्ञापांक 1193 /वि०को०,
बिहार पुलिस मुख्यालय
(अपराध अनुसंधान विभाग एवं कमजोर वर्ग प्रभाग)
पटना, दिनांक– 28-05-2021

प्रतिलिपि :–1. सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक(रेल सहित), बिहार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

2. सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उप–महानिरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।

28/5/2021
पुलिस महानिदेशक,
बिहार।

परिशिष्ट

दं0प्र0सं0 की धारा 41.(1)(b)(ii) के अनुपालनार्थ माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य मामले में पारित न्यायादेश तद्नुसार भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पत्र सं0-3/S/2008-Judl.Cell दि0 10 जुलाई 2014 से संबंधित।

चैकलिस्ट

	अभियुक्त का विवरण (नाम, पिता का नाम, आयु, लिंग एवं पता इत्यादि) :	
	काण्ड का विवरण (सुसंगत धारा सहित) :	
	पुलिस अधिकारी द्वारा अभियुक्त/संदिग्ध की बिना वारंट गिरफ्तारी हेतु अनुपालनीय दं0प्र0सं0 के उपबंध एवं तत्संबंधित वस्तुनिष्ठ विचार हेतु सहायक प्रश्नावली	संबंधित उत्तर
A	41.(1)(b)(ii)(a) अभियुक्त द्वारा पुनः कोई अपराध किये जाने से रोकने हेतु	
	➢ क्या अभियुक्त पूर्व में किसी आपराधिक कांड में आरोप पत्रित या दण्डित हुआ है ? यदि हाँ तो अलग पन्ने पर विवरण दें।	* हाँ/नहीं
	➢ क्या अभियुक्त किसी आपराधिक गिरोह का सदस्य, सहायक, आश्रयदाता या मुखबिर है ? यदि हाँ तो विवरण दें।	हाँ/नहीं
	➢ क्या पूर्व में किसी काण्ड में संदिग्ध पाया गया है यदि हाँ तो विवरण दें।	हाँ/नहीं
B	41.(1)(b)(ii)(b) कांड के उचित अनुसंधान हेतु	
	➢ क्या कांड से संबंधित संपत्ति की बरामदगी में सहायता हेतु गिरफ्तारी आवश्यक है ?	* हाँ/नही
	➢ क्या कांड के पूर्ण सटीक उद्भेदन हेतु अभियुक्त का कस्टोडियल इंटेरोगेशन आदि के लिए पुलिस कस्टडी आवश्यक है?	* हाँ/नही
	➢ क्या पहचान परेड, संयुक्त पूछताछ या अन्य अभियुक्त/व्यक्तियों से सामना कराने हेतु अभियुक्त की गिरफ्तारी आवश्यक है ?	* हाँ/नही
	➢ क्या सह अभियुक्तों की गिरफ्तारी में आवश्यक सहयोग हेतु अभियुक्त की गिरफ्तारी आवश्यक है ?	हाँ/नही
	➢ क्या विभिन्न प्रकार के नमूनों- आवाज, रक्त, वीर्य, थूक, केश, नख, हस्ताक्षर, हस्तलेख, डी0एन0ए0 प्रोफाइलिंग इत्यादि हेतु अभियुक्त की गिरफ्तारी आवश्यक है?	हाँ/नही

C	41.(1)(b)(ii)(c) काण्ड के साक्ष्यों के साथ किसी भी प्रकार की छेडछाड करने या उन्हे विनष्ट करने से रोकने हेतु। ➢ क्या अभियुक्त की पहुँच के दायरे में कांड से संबंधित कोई साक्ष्य- सामग्री है जिनके साथ छेड़-छाड़ कर सकता है ? ➢ क्या अभियुक्त द्वारा किसी भी प्रकार से कांड के साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने या विनष्ट किये जाने की आशंका है ?	* हाँ/नही हाँ/नही
D	41.(1)(b)(ii)(d) क्या अभियुक्त द्वारा कांड की परिस्थितयों से परिचित किसी व्यक्ति को उत्प्रेरणा, धमकी, वादे द्वारा न्यायालय या पुलिस के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट करने से रोकने की आशंका है? ➢ क्या अभियुक्त किसी भी रूप में साक्षियों को प्रभावित करने की स्थिति/हैसियत में है ? ➢ क्या पूर्व में अभियुक्त को दं0प्र0सं0 के अध्याय-8 (धारा 106-124) के अंतर्गत बंधित किया गया है ? यदि हाँ तो विवरण दें। ➢ पीड़ित पक्ष की अरक्षितता (vulnerability)- गरीबी(BPL),अशिक्षा, कमजोर वर्ग इत्यादि। यदि हाँ तो विवरण दें।	* हाँ/नही * हाँ/नही हाँ/नही
E	41.(1)(b)(ii)(e) क्या अभियुक्त के यथावश्यकता न्यायालय में उपस्थित नहीं होने की आशंका है? ➢ क्या अभियुक्त द्वारा पूर्व में जमानत, पेरोल, फर्लो, सजा इत्यादि का उल्लंघन किया गया है ? ➢ क्या वह खानाबदोश गिरोह से संबंधित है ? यदि हाँ तो गिरोह पंजी का विवरण दें। ➢ क्या वह किसी प्रतिबंधित संगठन से किसी रूप में जुड़ा हुआ है? यदि है तो संबंधित अभिलेखों का विवरण दें। ➢ क्या अभियुक्त का पता/पहचान का अग्रतर सत्यापन आवश्यक है? ➢ क्या वह प्राय: राज्य से बाहर आवासित रहता है ?	* हाँ/नही * हाँ/नही * हाँ/नही हाँ/नही हाँ/नही

उपरोक्त चैक लिस्ट के आधार पर तथा अन्य उपलब्ध सामग्री साक्ष्यों का विवरण देते हुए गिरफ्तारी करने या नहीं करने संबंधी निर्णय:- अनुसंधानकर्ता का हस्ताक्षर पर्यवेक्षणकर्ता का प्रतिहस्ताक्षर	

28/5/2021
पुलिस महानिदेशक,
बिहार।